



MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 11.10.2026



● यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई- जनपदीय पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं सड़क सुरक्षा हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान कुल 398 वाहनों का चालान किया गया एवं 07 वाहन सीज किए गए।

1. शांति भंग की आशंका के मद्देनजर की गयी कार्रवाई- क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों द्वारा धारा 170 BNSS के तहत 75 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चालान किया गया।

2. आबकारी व अन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई- जनपद में अवैध शराब व मादक पदार्थों के निष्कर्षण, बिक्री एवं तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु चलाए गए अभियान के तहत कार्रवाई की गई: • आबकारी अधिनियम-04 अभियोगों में 04 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 00 लीटर कच्ची शराब, 53 शीशी देशी शराब, 60 शीशी देशी नेपाली शराब, 00 अदद केन बियर व 00 शीशी अंग्रेजी शराब बरामद की गई।

अन्य निरोधात्मक कार्रवाई- धारा 34 पुलिस एक्ट: 08

थानों द्वारा की गयी कार्यवाही

थाना ठूठीबारी (मु०अ०सं० 141/26 - धारा 60(1) आबकारी अधि०)- अभियुक्त रमेश साहनी (उम्र करीब 37 वर्ष, पुत्र सुदर्शन साहनी, नि० टोला नौडिहवा, थाना ठूठीबारी, जिला महाराजगंज)। बरामदगी: अभियुक्त के पास से 38 पाउच अवैध देशी शराब बंटी बबली बरामद।

थाना बरगदवा (मु०अ०सं० 87/26 - धारा 60(1) आबकारी अधि०)- अभियुक्त: रामपत गुप्ता (उम्र करीब 32 वर्ष, पुत्र अयोध्या गुप्ता, नि० गनेशपुर, थाना बरगदवा, महाराजगंज)। बरामदगी: अभियुक्त के पास से 15 टेद्रा पैक देशी शराब बरामद।

थाना परसामलिक (मु०अ०सं० 85/2026 - धारा 60/63 आबकारी अधि०) अभियुक्ता: संतोला (उम्र करीब 45 वर्ष, पत्नी रामचन्द्र, ग्राम खैरहवा दूबे, थाना परसामलिक, जनपद महाराजगंज)। बरामदगी: अभियुक्ता के पास से 45 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद।

थाना निचलौल (मु०अ०सं० 271/2026 - धारा 60/63 आबकारी अधि०) अभियुक्त: बहादुर (उम्र करीब 39 वर्ष, पुत्र रामआसरे, नि० हरगावा, थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज)। बरामदगी: अभियुक्त के पास से 15 अदद किसमिश सौफ अवैध नेपाली शराब बरामद।

विवेचना निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दैनिक कुल 08 विवेचनाओं का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।